न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 1/2021 (आवन्टन निरस्तीकरण)
जीसीएमएस नं0 2021/37

1. प्रेम बाई पुत्री श्री बालाराम जाति मीणा निवासी ढाकिया
2. रूपचन्द पुत्र श्री बालाराम जाति मीणा निवासी ढाकिया तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अपीलांट

बनाम

1. कंकू बाई पत्नी बिरधीलाल जाति बैरवा निवासी ढाकिया तहसील रामगंजमण्डी
2. कमला बाई पत्नी गोरधनलाल जाति मेहर निवासी खेराबाद तहसील रामगंजमण्डी
3. बजरंग सिंह पुत्र श्री पप्पू उर्फ बख्तावर जाति राजपूत निवासी सारनखेडी
4. राधेश्याम पुत्र श्री रामनारायण जाति मीणा निवासी ढाकिया
5. छोटू उर्फ रफीक पुत्र फारूख उर्फ बब्बू जाति मुसलमान निवासी खैराबाद तहसील रामगंज़मण्डी जिला कोटा
6. पवन ठेकेदार पुत्र नामालूम जाति धाकड निवासी रामगंजमण्डी
7. हसरू खां पुत्र श्री छीतर खां जाति मुसलमान निवासी ढाकिया
8. रामावतार पुत्र बकशालाल जाति बैरवा निवासी ढाकिया तह0 रामगंजमण्डी
9. धनराज पुत्र नारायण जाति मीणा निवासी ढाकिया
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

––रेस्पोडेन्टगण

प्रार्थना पत्र अन्तगर्बत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन आदेश दिनांक 29.6.2002

उपस्थिति
1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक –05/08/2025

1. प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि ग्राम ढाकिया तहसील रामगंजमण्डी में स्थित पूर्व सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 685 रकबा 36 बीघा 13 बिस्वा में से अप्रार्थी कम 1 को दिनांक 29.6.2002 को 5 बीघा आवंटन समिति द्वारा सशुल्क आवंटन किया गया था जिसका अमल दरामद करते हुए इंतकाल संख्या 30/445 दिनांक 22.01.2003 को कर दिया गया किन्तु वक्त आवंटन उसे उक्त भूमि पर दखल नहीं दिया गया । कुछ ही समय बाद अप्रार्थी कम 1 को इंतकाल संख्या 275/683 दिनांक 27.12.2010 को खातेदारी अधिकार दे दिये गये, जो सिर्फ एक सरसरी प्रकिया के तहत मात्र राजस्व रिकार्ड की एक प्रवृष्ठि बन कर रह गयी । उक्त आराजी का बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरां नम्बर 812/747 हो गया का बैचान अप्रार्थी कम 2 के हक में कर दिया गया । उक्त बैचान प्रारम्भ से ही शून्य एवं आकृत है, क्योंकि उक्त बेचान बिना किसी अधिकार सर्जित व बिना भौतिक तौर के कब्जे के अप्रार्थी कम 1 द्वारा अप्रार्थी कम 2 को किया गया है जिससे अप्रार्थी कम 2 को कोई अधिकार सर्जित नहीं होते है तथा वर्तमान में भी उक्त कृषि आराजी खसरा

नम्बर 812/747 रकवा 0.80 हे0 वाके ढाकिया पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 29.6.2002 आवंटी कंकूबाई पत्नी श्री बिरधीलाल जाति बैरवा निवासी ढाकिया तहसील रामगंजमण्डी को निरस्त किया जावें एवं प्रार्थीगण कब्जाधारी के पक्ष में नियमन हेतु सिफारिश की जावें ।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से अभिभाषक श्री फजल मोहम्मद का एवं अप्रार्थी नं0 5 की ओर से श्री सरफराज का वकालतनामा पेश हुआ । शेष अनुपस्थित है । वकील अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली है । पत्रावली में वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी कई पेशियों से अनुपस्थित चल रहे है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी नं0 1 के जवाब के आधार पर निर्णय हेतु पेरोकार सरकार को सुना गया ।

3. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ग्राम ढाकिया तहसील रामगंजमण्डी में स्थित पूर्व सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 685 रकबा 36 बीघा 13 बिस्वा में से अप्रार्थी कम 1 को दिनांक 29.6.2002 को 5 बीघा आवंटन समिति द्वारा सशुल्क आवंटन किया गया था जिसका अमल दरामद इंतकाल संख्या 30 /445 दिनांक 22.01.2003 को कर दिया गया किन्तु वक्त आवंटन उसे उक्त भूमि पर दखल नहीं दिया गया । कुछ ही समय बाद अप्रार्थी कम 1 को इंतकाल संख्या 275/683 दिनांक 27.12.2010 को खातेदारी अधिकार दे दिये गये, जो सिर्फ एक सरसरी प्रकिया के तहत मात्र राजस्व रिकार्ड की एक प्रवृष्ठि बन कर रह गयी । उक्त आराजी का बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 812/747 हो गया का बैचान अप्रार्थी कम 2 के हक में कर दिया गया । उक्त बैचान प्रारम्भ से ही शून्य एवं आकृत है, क्योंकि उक्त बेचान बिना किसी अधिकार सर्जित व बिना भौतिक तौर के कब्जे के अप्रार्थी कम 1 द्वारा अप्रार्थी कम 2 को किया गया है जिससे अप्रार्थी कम 2 को कोई अधिकार सर्जित नहीं होते है तथा वर्तमान में भी उक्त कृषि आराजी खसरा नम्बर 812/747 रकबा 0.80 हे0 वाके ढाकिया पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है । नियमानुसार आवंटन पश्चात 2 वर्ष के अन्दर अन्दर आवंटित भूमि पर काश्त नहीं करने पर आवंटी का आवंटन निरस्त किये जाने का नियम है, जबकि उक्त वर्णित कृषि आराजी पर आवंटन की दिनांक से ही आवंटी द्वारा कभी कोई काश्त नहीं की गयी ऐसी सिथति में आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है । अप्रार्थी कम 3 ता 9 गैर कानूनी तरीके से प्रार्थीगणों के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत व दखलंदाजी कर रहे है व प्रार्थीगणों को गैर कानूनी तरीके से व गैर कानूनी संसाधनों के उपयोग से उक्त वर्णित कृषि आराजी पर बेदखल करने पर आतुर है, यदि ऐसा होता है तोप्रार्थीगण के साम्पत्तिक अधिकारों का हनन होगा । प्रार्थीगण के पास उक्त वर्णित भूमि के अलावा अन्य भूमि नहीं है, उक्त वर्णित भूमि से ही प्रार्थीगण अपनी व अपने परिवार की आजीविका चला रहे है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 29.6.2002 आवंटी कंकूबाई पत्नी श्री बिरधीलाल जाति बैरवा निवासी ढाकिया तहसील रामगंजमण्डी को निरस्त किया जावें एवं प्रार्थीगण कब्जाधारी के पक्ष में नियमन हेतु सिफारिश की जावें ।

4. अप्रार्थी कम 01 द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया है कि अप्रार्थी कम 1 का उक्त विवादित कृषि आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार व नाता नहीं है, उक्त विवादित कृषि आराजी मात्र एक सरसरी व फिस्कल तौर पर अप्रार्थी कम 1 के खाते दर्ज हो गयी थी जबकि अप्रार्थी कम 1 को उससे कोई अधिकार अर्जित नहीं हुये थे, क्योंकि अप्रार्थी कम 1 को उक्त कृषि आराजी के भौतिक तौर पर कहां स्थापित है उक्त तथ्य की जानकारी नहीं है और ना ही उक्त कृषि आराजी पर अप्रार्थी कम 1 का कब्जा रहा है । ऐसी स्थिति में यदि न्यायालय द्वारा अप्रार्थीया कम 1 के उक्त आवंटन दिनांक 29.6.2002 खारिज कर दिया जाता है उसमें अप्रार्थी कम 1 को कोई आपत्ति नहीं है ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा कानूनी बिन्दुओं पर गहनता से विचार किया । प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थी नं0 1 को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 685 में से 5 बीघा बाद सेटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 812/747 रकबा 0.80 हे0 पर अपना कब्जा बताया है । आंवटी को उक्त आवंटन के पश्चात खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है जिसका वर्णन प्रार्थी द्वारा भी अपने प्रार्थना पत्र में किया है । तत्पश्चात उक्त भूमि खातेदारी पश्चात अप्रार्थीया नं0 2 कमला बाई को बेचान हो चुकी है तथा पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्तमान जमावंदी अनुसार बेचान से खसरा नम्बर 812/747 रकबा 0.80 हे0 कानाराम पुत्र मोहनराम के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है । आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत यदि गैर खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने अंथवा आवंटन दोषपूर्ण होने पर ही आवंटन निरस्त किया जाने का प्रावधान है, खातेदारी प्राप्त होने के पश्चात नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त किया जाना संभव नहीं है तथा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है । इस प्रकरण में आवंटी को खातेदारी दी जा चुकी है तत्पश्चात उक्त भूमि का बेचान से अन्तरण हो चुका है । ऐसी स्थिति में आवंटी को आवंटित भूमि की खातेदारी अधिकार दिये जाने एवं भूमि का बेचान से अन्तरण हो जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है ।
6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । ग्राम ढाकिया की भूमि खसरा नम्बर 685 में से 5 बीघा के बाद सेटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 812/747 रकबा 0.80 हे0 भूमि का किया गया आवंटन दिनांक 29.06.2002 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।
7. निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर
कोटा

जिला कलक्टर
कोटा